UPPG010045422026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस, कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–रामलाल–द्वितीय, (एच.जे.एस.)

JO Code–UP6467

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1821/2026

अशोक सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष सुत जगदीश सिंह,
निवासी ग्राम–पर्वतपुर, थाना–जेठवारा, जनपद– प्रतापगढ़।

.......आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश

.......विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या : 170/2026
धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट
थाना– जेठवारा , जिला–प्रतापगढ़

दिनांकः–23.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **अशोक सिंह** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–170/2026, धारा– 8/20 NDPS Act, थाना–जेठवारा, जिला प्रतापगढ़ के अंतर्गत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे असत्य कथनों के आधार पर झूंठा फसाया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुयी है। कथित बरामदगी फर्जी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में विचाराधीन है, न ही प्रस्तुत हुआ है और न ही निरस्त हुआ है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

3. सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4. बरामदगी/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक–17.06.2026 को उ0 नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराहियान देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेंकिग में रामगंज बाजार के पास मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर दौलतगंज टावर के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम अशोक सिंह बताया तथा जामा तलाशी पर अभियुक्त के पास से 1.020 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के कब्जे से 1.020 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद होना बताया गया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियुक्त को दिनांक– 17.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। विचारण में समय लग सकता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.06.23 13:59:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मामले में बिना गुण दोष पर विचार किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7. आवेदक/अभियुक्त **अशोक सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–170/2026, धारा– 8/20 NDPS Act, थाना–जेठवारा, जिला प्रतापगढ़ **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार** रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की **दो** प्रतिभू तथा इस आशय की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर कि–

1. अभियुक्त आरोप विरचन हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
2. अभियुक्त बयान मुल्जिम 313 हेतु न्यायालय उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त अनावश्यक रूप से दौरान विचारण स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति के भारत से बाहर नहीं जायेगा।
5. यदि अभियुक्त अपना वर्तमान पता बदलता है तो अपने नवीन पता के संबंध में संबंधित थाना/न्यायालय को सूचित करेगा।
6. अभियुक्त गवाहो को न तो डरायेगा न तो धमकायेगा ।
7. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा, जमानत पर रिहा किया जाये।

8 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या-4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL- 07/Admin 'G-II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई-मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e-Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक :23.06.2026

(रामलाल–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश NDPS Act
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
JO Code–UP 6467

सर्वेश सिंह/– स्टेनो